न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 25/2024
जीसीएमएस नंबरः– 2024/67

प्रार्थीः–

1. पूनाराम पुत्र प्रहलादराम, उम्र 68 वर्ष निवासी हेम नगर पूनियों की प्याउ जोलियाली तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–::आदेश::–

दिनांकः– 01/05/25

उपस्थितिः– 1. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी पूनाराम उर्फ भरगुड़ा उर्फ भगुं पुत्र श्री प्रहलादराम का पेतृक निवास व पुश्तैनी कृषि भूमि गांव हेमनगर व जोलियाली पटवार हल्का जोलियाली भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र केरू, तह. व जिला जोधपुर की सरहद में खसरा सं. 253, 264, 265 व 294 कुल रकबा 77 बीघा 02 बिस्वा है जिसके नया खाता सं. 14 व पुराना 16 है। इसी प्रकार गांव जोलियाली की सरहद में खसरा सं. 346/1 कुल रकबा 44 बीघा 8 बिस्वा नया खाता सं. 144 व पुराना 152 है। प्रार्थी की उक्त पुश्तैनी जमीन पूर्व में प्रार्थी के पिता प्रहलादराम पुत्र हरजीराम, जाति विश्नोई के नाम की खातेदारी की भूमि रेकडेर्ड है। उक्त भूमि के सहखातेदार प्रहलादराम पुत्र श्री हरजीराम जाति विश्नोई का देहांत होने पर उनका फौतेदगी नामा. सन् 1980 को स्वीकृत करते समय गलती से उनके सभी वारिस पूनाराम, जाति विश्नोई का नाम अमल दरामद करते समय पूनाराम के स्थान पर गलती से भंगु व भरगुडा पुत्र प्रहलाद राम इन्द्राज कर दिया गया। जबकि सही नाम पूनाराम है जो आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि में दर्ज है। प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम पूनाराम के अलावा शेष सभी वारिसों के नाम सही अमलदरामद है ऐसे में मात्र पूनाराम के स्थान पर भंगु व भरगुडा जो गलती से लिखा गया है उसे दुरुस्त किए जाने में किसी को कोई अड़चन नहीं है। प्रार्थी प्रहलाद राम पुत्र हरजीराम का जाईन्दा पुत्र है। इस बाबत् कोई विवाद नहीं है। अतः ग्राम हेमनगर तह. व जिला जोधपुर की सरहद में हेमनगर खसरा सं. 253, 264, 265 व 294 कुल रकबा 77 बीघा 02 बिस्वा तथा जालियाली खसरा सं. 346/1 कुल रकबा 44 बीघा 08 बिस्वा जिसमें भंगु व भरगुड़ा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

प्रहलादराम को दुरुस्त कर प्रार्थी का सही नाम पूना राम पुत्र प्रहलादराम अंकित इंद्राज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार जोधपुर ने रिपोर्ट में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार पटवार मण्डल जोलियाली के खसरा सं. 346/1 रकबा 7.1872 हेक्टेयर राजस्व ग्राम हेमनगर के खसरा सं. 253, 264, 265, 294 रकुल रकबा 12.4805 हेक्टेयर प्रार्थी बतौर खातेदार दर्ज है। प्रहलादराम सहखातेदार पुत्र श्री हरजीराम जाति विश्नोई के देहातं के बाद फौतेदगी नामा. भरा गया। नामा. सं. 213 ग्राम जोलियाली में नामान्तरणकरण से भंगु व भरगुडा पुत्र प्रहलादराम इन्द्राज किया गया। नामा. के बाद राजस्व रेकर्ड में आज तक भंगु व भरगुड़ा पुत्र प्रहलादराम दर्ज है नामा. दिनांक 12.01.1983 को दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा दिए गए दस्तावेज आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार बैंक डायरी में पूनाराम पुत्र प्रहलादराम दर्ज है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया। तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध करते हुए राजस्व रेकर्ड में पूनराराम पुत्र प्रहलादराम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हेमनगर तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 253, 264, 265 व 294 कुल रकबा 77 बीघा 02 बिस्वा व ग्राम जोलियाली तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं. 346/1 कुल रकबा 44 बीघा 08 बिस्वा में प्रार्थी का नाम भंगु व भरगुड़ा पुत्र प्रहलाद राम को दुस्त किया जाकर पूनाराम पुत्र प्रहलाद राम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। इस हेतु तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी हो।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 6/1/05/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)